प्रपत्र 4

(देखे विनियम 6)

राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र

संख्या–3557/96–आयुष–1–2022–126/2021

उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग–1

भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग/आयुष

दिनांक 28 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

सचिव,
महाराणा प्रताप एजूकेशन सेंटर,
117/क्यू/66 शारदा नगर,
कानपुर।

विषयः महाराणा प्रताप आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, ईश्वरीगंज, बैकुण्ठपुर, बिठूर रोड, कानपुर नगर उ0प्र0 में बी0ए0एम0एस0 पाठ्यकम संचालित किये जाने हेतु 60 सीट पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भः अपर मुख्य सचिव, आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यकम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र दिनांक 20.09.2022

महोदय,

निम्न तथ्यों के संबंध में वांछित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा रहा हैः–

1	राज्य में विद्यमान चिकित्सा और आयुर्वेद संस्थानों की संख्या	08 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज तथा निजी क्षेत्र में 73 आयुर्वेदिक कालेज
2	उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष उत्पन्न चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	स्नातक– 588 राजकीय एवं 5400 निजी क्षेत्र स्नातकोत्तर– 95 राजकीय एवं 216 निजी क्षेत्र
3	राज्य परिषद/भारतीय चिकित्सा पद्वति बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	42018
4	राज्य सरकार में सेवारत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	2204 संविदा लगभग 1000
5	राज्य, विशेष रूप से ग्रामीण/कठिन क्षेत्रों में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या	चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) 611 चिकित्साधिकारी (सामु0स्वा0) 962
6	राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या	सामान्यतः राज्य के रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं कराते हैं।
7	राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों एवं जनंसख्या का अनुपात	1 : 5712
8	चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार से हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आएगा।	आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना/स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का उद्देश्य योग्य चिकित्सक बनाना है तथा प्रशिक्षणोपरान्त व्याधियों (रोगों) को दूर कर मानव ज्ञान शक्ति को सुदृढ़ करना है।
9	छात्र, जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने की प्रतिबद्धता अधिरोपित, यदि कोई है, का उल्लेख करें।	राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में स्नातक स्तर पर प्रवेश शासन के निर्देशानुसार होता है।
10	प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय खोलने/प्रवेश क्षमता बढ़ाने/नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य।	योग्य चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक तैयार करना।

11	प्राप्य आयुर्वेद चिकित्सक जनसंख्या अनुपात	निर्धारित नहीं।

सचिव, महाराणा प्रताप एजूकेशन सेंटर, 117/क्यू/66 शारदा नगर, कानपुर द्वारा महाराणा प्रताप आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, ईश्वरीगंज, बैकुण्ठपुर, बिठूर रोड, कानपुर नगर उ0प्र0 में आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदक सचिव, महाराणा प्रताप एजूकेशन सेंटर, 117/क्यू/66 शारदा नगर, कानपुर को 60 सीटों के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए सैद्धान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है, जिसकी वैधता निर्गमन तिथि से 03 वर्ष तक होगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(क) आवेदक के पास 60 शैय्याओं वाला अस्पताल है।

(ख) आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 60 सीटों पर बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना जनहित में वांछनीय है।

(ग) सचिव, महाराणा प्रताप एजूकेशन सेंटर, 117/क्यू/66 शारदा नगर, कानपुर द्वारा महाराणा प्रताप आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, ईश्वरीगंज, बैकुण्ठपुर, बिठूर रोड, कानपुर नगर उ0प्र0 में आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 60 सीटों पर बी0ए0एम0एस0 पाठ्यकम प्रारम्भ करना उचित है एवं उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रपत्र–4 पर) इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त संस्था महाविद्यालय के क्षेत्र का अभिलेखों में तथा भौतिक रूप से चिन्हांकन एवं सीमांकन तथा एन0सी0आई0एस0एम0 की अधिसूचना दिनांक 19.07.2012, 07.11.2016 एवं 18.06.2019 में उल्लिखित मानकानुसार समस्त संसाधनों एवं भूमि की कमी की पूर्ति एन0सी0आई0एस0एम0 के निरीक्षण के पूर्व अवश्य कर लें।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है। आगे प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रार्थी आयुर्वेद महाविद्यालय के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के मानदण्डों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहते हैं और केन्द्र सरकार द्वारा आगे प्रवेश रोक दिया जाता है तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले से प्रविष्ट छात्रों की पूरी जिम्मेदारी लेगी।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, सी0सी0आई0एम0 (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग), 61–65, भारतीय चिकित्सा पद्धति भवन, डी0–ब्लाक के सामने जनकपुरी, नई दिल्ली।
2– सचिव, आयुष मंत्रालय, बी0–ब्लाक, आयुष भवन, भारत सरकार, जी0पी0ओ0 काम्प्लेक्स, आई0एन0ए0 नई दिल्ली।
3– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4– कुलसचिव, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
5– निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6– निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यकम एवं मूल्यांकन), उ0प्र0 लखनऊ।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा चरण)
अनु सचिव।